बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

संकल्प

विषय :– माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में लक्षित जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्न दुकानों तक उपलब्ध कराने हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014–15 में 285.58 (दो सौ पचासी करोड़ अनठावन लाख) रू0 की लागत से डोर स्टेप डिलेवरी योजना लागू करने की स्वीकृति के संबंध में।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा याचिका सं0–196/2001 पी0यू0सी0 एल0 बनाम भारत संघ व अन्य में दिनांक 14.09.2011 को न्याय निर्णय पारित किया गया है जिसके अनुसार सभी राज्यों को लक्षित जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत डोर स्टेप डिलेवरी सिस्टम के माध्यम से जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के दुकान तक खाद्यान्न को पहुँचाना सुनिश्चित करना था । इसके आलोक में लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत खाद्यान्न दुकानों तक उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय वर्ष 2013–14 में 97 (सन्तानवे) करोड़ की लागत से डोर स्टेप डिलेवरी योजना की स्वीकृति प्राप्त हुई । डोर स्टेप डिलेवरी योजना वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014–15 में भी लागू करने की आवश्यकता है ।

2. भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 लागू किया गया है जिसके प्रावधानों को माह फरवरी, 2014 से राज्य में भी लागू किया गया है । अधिनियम के आलोक में निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धांत के आलोक में अबतक पहचान किये गये कुल 7,60,62,726 पात्र व्यक्तियों हेतु कुल 4.09 लाख मे0टन खाद्यान्न बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के गोदामों से निगम द्वारा जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के दुकान तक पहुँचाया जा रहा है ।

3. डोर स्टेप डिलेवरी योजनान्तर्गत वर्ष 2013–14 में माह फरवरी, 2014 एवं मार्च, 2014 में बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम द्वारा डोर स्टेप डिलेवरी के माध्यम से 516.50 रूपये प्रति मे0टन की दर से माह फरवरी, 14 में 2,45,102.22 मे0टन खाद्यान्न का परिवहन कराते हुए 12,65,95,297/–(बारह करोड़ पैसठ लाख पंचानवे हजार दो सौ संतानवे) रू0 एवं माह मार्च, 2014 में 3,70,227.65 मे0टन खाद्यान्न का परिवहन कराते हुए 19,12,22,581/–(उनीस करोड़ बारह लाख बाईस हजार पॉच सौ इक्यासी) रू0 का व्यय बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम द्वारा किया गया है। इस प्रकार विगत वर्ष 2013–14 में उक्त योजना में कुल 31,78,17,878/– (इकतीस करोड़ अठहत्तर लाख सत्रह हजार आठ सौ अठहत्तर) रू0 का भुगतान लंबित है।

4. भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के आलोक में 409575 मे0टन खाद्यान्न का मासिक आवंटन किया गया है । फलतः इस मात्रा के खाद्यान्न के डोर स्टेप डिलेवरी योजना के अन्तर्गत परिवहन पर राज्य खाद्य निगम द्वारा दर्शाये गये दर अनुमानित दर के अन्दर निविदा द्वारा प्राप्त दर के आधार पर भुगतान किया जाना है । बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम द्वारा परिवहन निविदा से प्राप्त परिवहन–सह–हथालन उप मद के दर के आधार पर कार्यान्वित डोर स्टेप डिलेवरी में वास्तावित व्यय 51.65 रू0 प्रति क्वींटल है ।

5. बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम द्वारा परिवहन निविदा से प्राप्त परिवहन–सह–हथालन उप मद के दर के आधार पर कार्यान्वित डोर स्टेप डिलेवरी में वास्तावित व्यय की गणना निम्नवत् की गई है :–

कुल खर्च प्रति क्वींटल

| | |
|---|---|
| 1. परिवहन<br>2. हथालन | – 38.40 रू0 |
| 3. कार्मिक | – 7.77 रू.0 |
| 4. कम्प्यूटराईजेशन एवं अन्य सम्बद्ध उप मद | – 4.08रू0 |
| 5. भंडारण | – 0.40 रू0 |
| 6. आकस्मिकता | – 1.00 रू0 |
| **कुल योग** | **– 51.65 रू0** |

उक्त मदों में बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम द्वारा अपने उक्त पत्र में दर निर्धारण के संबंध में आधार भी प्रस्तुत किया गया है ।

6. बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम द्वारा दर्शाये गये उक्त दर से कुल 409575 मे0टन खाद्यान्न का डोर स्टेप डिलेवरी योजना के तहत हथालन, परिवहन में मासिक 21.15 करोड़ रूपये व्यय अनुमानित है । वार्षिक अनुमानित व्यय 253.80 करोड़ रू0 है ।

7. इस प्रकार डोर स्टेप डिलेवरी योजनान्तर्गत विगत वर्ष की राशि 31.78 करोड़ एवं वर्त्तमान वित्तीय वर्ष हेतु 253.80 करोड़ रूपये कुल 285.58 (दो सौ पचासी करोड़ अंठावन लाख) रू0 का व्यय वर्ष 2014–15 में संभावित है ।

8. अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में लक्षित जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्न दुकानों तक उपलब्ध कराने हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014–15 में 285.58 (दो सौ पचासी करोड़ अंठावन लाख) रू0 की लागत से डोर स्टेप डिलेवरी योजना लागू करने का प्रस्ताव है ।

9. डोर स्टेप डिलेवरी योजना के अन्तर्गत होने वाला व्यय मुख्य शीर्ष 3456, सिविल पूर्ति, उप मुख्यशीर्ष 00, लघुशीर्ष 102 सिविल पूर्ति योजना मांग संख्या–18 उपशीर्ष 0306 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, विपत्र कोड सं0–P 3456001020306 विषय शीर्ष 33–01 सब्सिडी, मुख्य शीर्ष 3456, सिविल पूर्ति, उप मुख्यशीर्ष 00, लघुशीर्ष 789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, मांग संख्या–18, उपशीर्ष 0302 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, विपत्र कोड सं0– P 3456007890302 विषय शीर्ष 33–01 सब्सिडी एवं मुख्य शीर्ष 3456, सिविल पूर्ति, उप मुख्यशीर्ष 00, लघुशीर्ष 796 जनजातिय क्षेत्र उप योजना, मांग संख्या–18, उपशीर्ष 0302 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, विपत्र कोड सं0– P 3456007960302 विषय शीर्ष 33–01 सब्सिडी के अन्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से किया जाएगा। अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होने पर बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम अथवा अनुपूरक से प्राप्त किया जाएगा ।

10. प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद् की सम्पन्न बैठक दिनांक 18.11.2014 को मद संख्या – 04 के रूप में स्वीकृति तथा वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है । संचिका संख्या– प्र06–विविध–26 / 2009– 150 / टि0 ।

(हुकुम सिंह मीना) 20/11/2014
सरकार के सचिव।

**आदेश :– अतः आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित कर दिया जाय ।**

सरकार के सचिव। 20/11/2014

ज्ञापांक – प्र06–विविध–26 / 2009-8832 खाद्य–पटना / दिनांक– 20-11-2014
प्रतिलिपि – अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित (दो हार्ड कॉपी एवं एक सी0 डी0 संलग्न)।

अनुरोध है कि गजट की 200 (दो सौ) प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ।

सरकार के सचिव। 20/11/2014

ज्ञापांक – प्र06–विविध–26 / 2009 – 8832 खाद्य–पटना / दिनांक– 20-11-2014
प्रतिलिपि – महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव। 20/11/2014

ज्ञापांक – प्र06–विविध–26 / 2009 – 8832 खाद्य–पटना / दिनांक– 20.11.2014
प्रतिलिपि – मुख्य सचिव / विकास आयुक्त, बिहार, पटना / माननीय मुख्य मंत्री, बिहार के प्रधान सचिव / सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग / सरकार के सभी विभाग / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / प्रबध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, सोन भवन, पटना / सभी विभागाध्यक्ष / सभी जिला पदाधिकारी / सचिव, बिहार विधान सभा / सचिव, बिहार विधान परिषद् / सभी विश्वविधालय के कुलपति को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रत्येक विभाग / विभागाध्यक्ष से अनुरोध है कि उनके अधीनस्थ सभी कार्यालय / स्थानीय निकायों / निगमों / लोक सेवा के उपक्रमों / पर्षदों को अविलंब सूचित करा दें ।

सरकार के सचिव। 20/11/2014

ज्ञापांक – प्र06–विविध–26 / 2009 – 8832 खाद्य–पटना / दिनांक– 20.11.2014
प्रतिलिपि – बिहार राज्य खाद्य आयोग, पटना के अध्यक्ष / सभी सदस्यों / अपर सचिव–सह– सदस्य सचिव, बिहार राज्य खाद्य आयोग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।
20/11/2014

ज्ञापांक – प्र06–विविध–26 / 2009 – 8832 खाद्य–पटना / दिनांक– 20.11.2014
प्रतिलिपि – माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के आप्त सचिव / प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव। 20/11/2014

ज्ञापांक – प्र06–विविध–26 / 2009 – 8832 खाद्य–पटना / दिनांक– 20.11.2014
प्रतिलिपि – अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–05 (बजट शाखा), खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव। 20/11/2014

ज्ञापांक – प्र06–विविध–26 / 2009 – 8832 खाद्य–पटना / दिनांक– 20.11.2014
प्रतिलिपि – आई0टी0 मैनेजर को विभागीय बेवसाईट पर डालने एवं ई–मेल करने हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।
20/11/2014